सूचना के इस एकत्रीकरण के लिये सार्वजनिक रिपोर्टिंग में लगने वाला समय अनुमानतया प्रति उत्तर 20 मिनट है, जिसमें निर्देशों की समीक्षा करने, मौजूदा डेटा सोतों को खोजने, आवश्यक डेटा को एकत्र करने और उनका रखरखाव करने, तथा सूचना के एकत्रीकरण को पूरा करने और उसकी समीक्षा करने का समय शामिल है।

आवास एवं शहरी विकास विभाग को 1968 के नागरिक अधिकार अधिनियम के टाईटल VIII, 1988 के उचित आवास संशोधन अधिनियम, (P.L. 100-430); 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के टाईटल VI, (P.L. 88-352); 1973 के, संशोधित, पुनर्वास अधिनियम की धारा 504, (P.L. 93-112); 1974 के, संशोधित, आवास एवं समुदाय विकास अधिनियम के टाईटल I की धारा 109, (P.L. 97-35); 1990 के अमेरिकी विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित अधिनियम, (P.L. 101-336) और 1975 के, संशोधित, आयु सम्बन्धी भेदभाव के अधिनियम, (42 U.S.C. 6103) के तहत इस सूचना को एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त है।

इस सूचना का इस्तेमाल आवास सम्बन्धी भेदभाव की शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने और उन पर कार्यवाही करने के लिये किया जायेगा। यह सूचना संयुक्त राज्य न्याय विभाग को आवास सम्बन्धी भेदभाव के नमूना व पद्धति (पैटर्न एंड प्रैक्टिस) सम्बन्धी मुकदमों को दर्ज करने में या जिन मामलों में हिंसा शामिल है उनमें आवास सम्बन्धी भेदभाव करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरुद्ध अभियोजन का मुकदमा दायर करने में प्रयोग करने के लिये; और शिकायत पर कार्यवाही करने के लिये लगभग समान आवास सम्बन्धी कानूनों को लागू करने वाली राजकीय या स्थानीय उचित आवास संस्थाओं को बतायी जा सकती है। मांगी गयी कुछ या समस्त जानकारी को प्रदान न किये जाने से HUD की सहायता में देरी होगी या उससे वंचित हो जायेंगे।

इस जानकारी का बताया जाना स्वैच्छिक है।

U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

MAIL TO:

PLACE POSTAGE HERE

अपने फॉर्म को कहाँ पर भेजें या अपने दावे के बारे में कहाँ पर पूछताछ करें

कनेक्टिकट, मैन, मैसाच्युसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोडे आइलैंड और वर्मोन्ट के लिये:
बोस्टन क्षेत्रीय कार्यालय
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Thomas P. O'Neill Jr. Federal Building
10 Causeway Street, Room 321
Boston, MA 02222-1092
टेलीफोन: (617) 994-8300 या 1-800-827-5005
फैक्स: (617) 565-7313 • TTY (617) 565-5453
ई-मेल: Complaints_office_01@hud.gov

न्यूजर्सी, न्यूयॉर्क, और कैरिबियाई के लिये:
न्यूयॉर्क क्षेत्रीय कार्यालय
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278-0068
टेलीफोन: (212) 542-7519 या 1-800-496-4294
फैक्स: (212) 264-9829 • TTY (212) 264-0927
ई-मेल: Complaints_office_02@hud.gov

डेलावेयर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया, मैरीलैंड, पेन्सिलवैनिया, वर्जिनिया और पश्चिमी वर्जिनिया के लिये:
फ़िलाडेल्फिया क्षेत्रीय कार्यालय
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
The Wanamaker Building
100 Penn Square East
Philadelphia, PA 19107-9344
टेलीफोन: (215) 861-7646 या 1-888-799-2085
फैक्स: (215) 656-3449 • TTY (215) 656-3450
ई-मेल: Complaints_office_03@hud.gov

अलाबामा, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, केन्टुकी, मिसिसिपि, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, और टेनेसी के लिये:
अटलांटा क्षेत्रीय कार्यालय
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Five Points Plaza
40 Marietta Street, 16th Floor
Atlanta, GA 30303-2808
टेलीफोन: (404) 331-5140 या 1-800-440-8091 x2493
फैक्स: (404) 331-1021 • TTY (404) 730-2654
ई-मेल: Complaints_office_04@hud.gov

इलिनॉय, इन्डियाना, मिशिगन, मिनीसोटा, ओहायो और विस्कोन्सिन के लिये:
शिकागो क्षेत्रीय कार्यालय
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Room 2101
Chicago, IL 60604-3507
टेलीफोन: 1-800-765-9372
फैक्स: (312) 886-2837 • TTY (312) 353-7143
ई-मेल: Complaints_office_05@hud.gov

अर्कन्सास, लुसियाना, न्यू मेक्सिको, ओक्लाहोमा और टेक्सास के लिये:
फोर्ट वर्थ क्षेत्रीय कार्यालय
Fair Housing Office
U.S. Dept. of Housing and Urban Development
801 Cherry Street
Suite 2500, Unit #45
Fort Worth, TX 76102-6803
टेलीफोन: (817) 978-5900 या 1-888-560-8913
फैक्स: (817) 978-5876/5851 • TTY (817) 978-5595
ई-मेल: Complaints_office_06@hud.gov

आयोवा, कैनसास, मिसूरी, और नेब्रास्का के लिये:
कैनसास शहर क्षेत्रीय कार्यालय
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200, 4th Floor
Kansas City, KS 66101-2406
टेलीफोन: (913) 551-6958 या 1-800-743-5323
फैक्स: (913) 551-6856 • TTY (913) 551-6972
ई-मेल: Complaints_office_07@hud.gov

कोलोराडो, मोन्टाना, उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, उटा और व्योमिंग के लिये:
डेनवर क्षेत्रीय कार्यालय
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202-4801
टेलीफोन: (303) 672-5437 या 1-800-877-7353
फैक्स: (303) 672-5026 • TTY (303) 672-5248
ई-मेल: Complaints_office_08@hud.gov

ऐरिज़ोना, कैलिफोर्निया, हवाई और नेवेडा के लिये:
सैन फ्रांसिस्को क्षेत्रीय कार्यालय
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
600 Harrison Street, Third Floor
San Francisco, CA 94107-1387
टेलीफोन: 1-800-347-3739
फैक्स: (415) 489-6558 • TTY (415) 489-6564
ई-मेल: Complaints_office_09@hud.gov

अलास्का, इडाहो, ओरेगन और वाशिंगटन के लिये:
सीएटल क्षेत्रीय कार्यालय
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Seattle Federal Office Building
909 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104-1000
टेलीफोन: (206) 220-5170 या 1-800-877-0246
फैक्स: (206) 220-5447 • TTY (206) 220-5185
ई-मेल: Complaints_office_10@hud.gov

अगर आपके निकटतम स्थानीय कार्यालय से सम्पर्क करने के बाद, आपके फिर भी कोई प्रश्न हैं - तो आप आगे HUD से निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:
U.S. Dept. of Housing and Urban Development
Office of Fair Housing and Equal Opportunity
451 7th Street, S.W., Room 5204
Washington, DC 20410-2000
टेलीफोन: 1-800-669-9777
फैक्स: (202) 708-1425 • TTY 1-800-927-9275

9001

इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने के लिये, वेबसाइट: www.hud.gov/fairhousing देखें • हॉटलाइन: 1-800-669-9777

क्या आप आवास सम्बन्धी भेदभाव से पीड़ित हैं?

अगर आपको आपके आवास सम्बन्धी अधिकारों से वंचित रखा गया है... तो हो सकता है आपने गैरकानूनी भेदभाव अनुभव किया हो।

उचित आवास आपका अधिकार है!

अमेरिकी आवास एवं शहरी विकास विभाग
Hindi

Brochure Design_4 Panel_2-23-11_VERSION 2-HI.indd 1
11/19/2011 12:59:14 PM

क्या आप आवास सम्बन्धी भेदभाव से पीड़ित हैं?

"'घर' कही जाने वाली एक सुरक्षित और सुरुचित जगह होने का अमेरिकी सपना हमारी साझी मान्यता दर्शाता है कि इस राष्ट्र में, अवसर और सफलता हर किसी की पहुँच के अन्दर हैं। हमारे उचित आवास सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत, प्रत्येक नागरिक को उनकी पसंद के घर या अपार्टमेंट में एक बेहतर जिन्दगी निर्मित करने का आश्वासन प्राप्त है - चाहे उनकी नस्ल, उनका रंग, धर्म, लिंग, राष्ट्रीय मूल, उनकी पारिवारिक स्थिति या विकलांगता कोई भी या कैसी भी हो।"

आप आवास सम्बन्धी भेदभाव की पहचान कैसे करें?

उचित आवास सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत, निम्नलिखित क्रियाएं कानून के ख़िलाफ़ हैं:

- आपको आवास को किराये पर देने या उसे बेचने से इंकार करना
- आपको आवास को अनुपलब्ध बताना जब कि वास्तव में वह उपलब्ध हो
- आपको केवल कुछ निश्चित इलाके में ही अपार्टमेंट या घर दिखाना
- रिहाइश की विकी या उसे किराये पर देने के लिये भिन्न सीमायें, शर्तें या विशेषाधिकार तय करना
- भिन्न आवास सेवायें या सुविधायें प्रदान करना
- केवल पसंदीदा समूहों के लिये ही आवास का विज्ञापन देना
- आपको बंधक ऋणों (मॉर्टगेज) के सम्बन्ध में जानकारी देने से इंकार करना, आपको बंधक ऋण देने से इंकार करना, या बंधक ऋण पर भिन्न सीमायें या शर्तें लादना
- आपको सम्पत्ति बीमा प्रदान करने से इंकार करना
- सम्पत्ति के मूल्यांकन भेदभावपूर्ण ढंग में करना
- आपको अपने निवास या साझा प्रयोग की जगहों में, अपने खर्चे पर उचित बदलाव करने देने से इंकार करना, अगर आवास का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिये यह आपके लिये आवश्यक हो। (जहाँ यथोचित हो, भवन का स्वामी बदलावों की अनुमति केवल तभी दे सकता है अगर आप जाते समय सम्पत्ति को उसकी मूल स्थिति में फिर से बहाल करने के लिये सहमत हों।)
- नियमों, नीतियों, कार्य-व्यवहारों या सेवाओं में यथोचित संशोधन करने से इंकार करना, अगर आवास को गैर-विकलांग व्यक्तियों के साथ समान आधार पर इस्तेमाल करने के लिये यह आपके लिये आवश्यक हो।
- आवास को सुलभ ढंग में डिजाइन और निर्मित नहीं करना
- उचित आवास सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग करने वाले या इन अधिकारों का प्रयोग करने वाले दूसरे व्यक्तियों की सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान करना, मजबूर करना, डराना या उसके साथ दखलंदाजी करना

इन कारकों के आधार पर आवास में भेदभाव करना गैरकानूनी है ...

- नस्ल
- रंग
- राष्ट्रीय मूल
- धर्म
- लिंग
- पारिवारिक स्थिति (ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चे हों, या जिनमें गर्भवती महिलायें हों)
- विकलांगता

अगर आप मानते हैं कि आपके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है...

- HUD या कोई राजकीय अथवा स्थानीय उचित आवास संस्था शिकायत दर्ज करने में आपकी मदद करने के लिये तैयार है।
- आपकी सूचना प्राप्त हो जाने के बाद, HUD या राजकीय अथवा स्थानीय उचित आवास संस्था आपके द्वारा उठायी गयी चिंताओं के बारे में चर्चा करने के लिये आपसे सम्पर्क करेगा/करेगी।

निम्नलिखित सूचना अपने रिकॉर्ड के लिये रखें।

आपके द्वारा HUD को सूचना भेजे जाने की तारीख: ____/____/____

पता जिस पर आपने सूचना भेजी:

कार्यालय _____ टेलीफोन _____

स्ट्रीट _____

शहर _____ राज्य _____ ज़िप कोड _____

अगर आपके द्वारा इस फॉर्म को भेजे जाने की तारीख से तीन हफ्तों के अन्दर आपको HUD या राजकीय अथवा स्थानीय उचित आवास संस्था से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हो, तो आप अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिये फोन कर सकते हैं।

पते और टेलीफोन की सूची पिछले पृष्ठ पर देखें।

फॉर्म को प्रस्तुत करें। मेहरबानी करके फॉर्म का पेज (पेजों) में से कोई भी हिस्सा न हटायें।

आवास सम्बन्धी भेदभाव की सूचना

अमेरिकी आवास एवं शहरी विकास विभाग उचित आवास एवं समान अवसर कार्यालय

निर्देश: (कृपया टाइप करें या साफ-साफ अक्षरों में लिखें) इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी पश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। यदि आपको किसी पश्न का उत्तर मालूम नहीं है या कोई पश्न आपके लिये लागू नहीं होता है, तो उस जगह को खाली छोड़ दें। **आपके पास शिकायत दर्ज करने के लिये कथित भेदभाव की तारीख से एक वर्ष का समय है।** आपका फॉर्म हस्ताक्षरित होना चाहिये और उस पर तारीख लिखी होनी चाहिये।

आपका नाम _____

आपका पता _____

शहर _____ राज्य _____ ज़िप कोड _____

फोन करने के लिये सर्वोत्तम समय _____ आपका दिन के समय फोन नम्बर _____ शाम के समय का फोन नम्बर _____

अगर आप से हमारी बात नहीं हो पाये तो हम और किस व्यक्ति को फोन कर सकते हैं?

सम्पर्क व्यक्ति का नाम _____ फोन करने के लिये सर्वोत्तम समय _____

दिन के समय फोन नम्बर _____ शाम के समय का फोन नम्बर _____

सम्पर्क व्यक्ति का नाम _____ फोन करने के लिये सर्वोत्तम समय _____

दिन के समय फोन नम्बर _____ शाम के समय का फोन नम्बर _____

1) आपके साथ क्या हुआ?

आपके साथ किस तरह भेदभाव किया गया?

उदाहरण के लिये: क्या आपको आवास को किराये पर लेने या उसे खरीदने का अवसर दिये जाने से इंकार किया गया? ऋण देने से इंकार किया गया? आपको बताया गया कि आवास उपलब्ध नहीं है जब कि वास्तव में वह उपलब्ध था? आवास तलाश करते समय आपके साथ दूसरों से भिन्न व्यवहार किया गया?

जो हुआ उसके बारे में संक्षेप में बतायें

2) आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप आवास सम्बन्धी भेदभाव के शिकार हुए हैं?

क्या यह निम्नलिखित कारण से हुआ है:

• आपकी नस्ल • आपका रंग • आपका धर्म • आपका लिंग • आपका राष्ट्रीय मूल • आपकी पारिवारिक स्थिति (18 वर्ष से कम की आयु के बच्चों वाले परिवार) • विकलांगता?

उदाहरण के लिये: क्या आपको आवास से अपनी नस्ल के कारण वंचित होना पड़ा था? क्या आपको आपके धर्म के कारण बन्धक ऋण (मॉर्टगेज) देने से इंकार किया गया था? या आपको किसी अपार्टमेंट के लिये इस कारण से इंकार कर दिया गया क्योंकि आपके बच्चे हैं?

संक्षेप में समझायें आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने आवास सम्बन्धी अधिकारों से वंचित रहे और ऊपर दिये गये उस/उन कारक (कारणों) पर गोल घेरा लगायें जो आपके विचार से लागू होते हैं।

3) आपके विचार से आपके ख़िलाफ़ भेदभाव किसने किया?

उदाहरण के लिये: क्या यह मकान-मालिक, मालिक, बैंक, जमीन-जायदाद सम्बन्धी एजेंट, दलाल, कम्पनी, या संस्था थी?

उस व्यक्ति की पहचान करें जिसे आप मानते हैं कि उसने आपके साथ भेदभाव बरता।

नाम _____

पता _____

4) भेदभाव का कथित कृत्य कहाँ पर हुआ?

उदाहरण के लिये: क्या यह कोई किराये की आवास इकाई थी? एकल परिवार वाला घर था? सार्वजनिक या सहायता-प्राप्त आवास था? मोबाईल घर था?

क्या यह किसी बैंक में या ऋण देने वाली किसी अन्य संस्था के यहाँ हुआ?

पता बतायें।

पता _____

शहर _____ राज्य _____ ज़िप कोड _____

5) भेदभाव का पिछला कृत्य कब हुआ था?

तारीख दर्ज करें ____/____/____

क्या कथित भेदभाव जारी है या निरन्तर हो रहा है? हाँ _____ नहीं _____

हस्ताक्षर _____ तारीख _____

HUD या अपनी निकटतम उचित आवास संस्था **को यह फॉर्म भेजें।** अगर आप इस फॉर्म को पूरा भरने में असमर्थ हैं, तो आप उस कार्यालय को सीधे फोन कर सकते हैं। पते और टेलीफोन की सूची पिछले पृष्ठ पर देखें।

फॉर्म HUD-903.1 Hindi (2011) OMB मंजूरी संख्या 2529-0011 (अवधि समाप्ति की तारीख: 03/31/2014)